FORM III

फर्द अहकाम

(नियम – 26)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम नीमकाथाना

छाजूराम बनाम भूमिधारी नीमकाथाना

प्रार्थना पत्र 128 मुक0 29 । सन् 2024 सीसीएमएस नं.

...ना	हुकम या कार्यवाही मय इनीशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	...र्ट सरिश्ता होकर पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उपस्थित। प्रार्थना ...त्र धारा 128 भू. रा. अधि. दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर अप्रार्थीगण को ...रिये सम्मन/रजिस्टर्ड सम्मन के तलब किया जावे। पत्रावली दिनांक ...06.2024 को पेश हो। (राजवीर सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज.)	
	पत्रावली पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी बावजूद सम्यक तामील अनुपस्थित। अतः अप्रार्थी के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी जाती है। बहस वकील प्रार्थी सुनी गयी। वास्ते आदेश पत्रावली दिनांक 21.06.2024 को पेश हो। (राजवीर सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना (राज.)	
	पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुयी। वकील प्रार्थी उपस्थित। बहस वकील प्रार्थी पूर्व में सुनी जा चुकी है। दौराने बहस वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दोहरान करते हुए कथन किया था कि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी के आदेश पारित किये जावे। बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली पर उपलब्ध प्रार्थना पत्र, राजस्व रिकॉर्ड का अवलोकन किया गया। जिससे जाहिर है कि वादग्रस्त भूमि मुताबिक राजस्व रिकॉर्ड ग्राम मालनगर पटवार हल्का आगवाड़ी तहसील नीमकाथाना भूमि खसरा नं. 794/1 रकबा 0.33 हैक्ट0 प्रार्थी की खातेदारी भूमि है। अतः प्रार्थीगण व पड़ौसी खातेदारान को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि मुताबिक सीमाज्ञान पत्थरगढ़ी किया जाना न्यायोचित है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी बाबत् पत्थरगढ़ी स्वीकार किये जाने योग्य है। (राजवीर सिंह यादव) उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना ... 2024 **आदेश** निर्णय दिनांक 1... 2024 उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थना पत्र प्रार्थी... स्वीकार किया जाकर तहसीलदार नीमकाथाना को आदेशित किया जाता है कि राजस्व ग्राम मालनगर पटवार हल्का आगवाड़ी तहसील नीमकाथाना भूमि खसरा नं. 794/1 रकबा 0.33 हैक्ट0 की प्रार्थीगण व पड़ौसी खातेदारान	

Signature Not Verified

Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.02.28 15:38:51 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner

को सूचित कर बाद सम्यक संतुष्टि सीमाज्ञान, मुताबिक सीमाज्ञान
दिनांक 31.05.2024 पत्थरगढ़ी की जावे। दौराने पत्थरगढ़ी किसी प्रकार
का कब्जा दिलवाने अथवा बेदखली की कार्यवाही नहीं की जावे।
तहसीलदार नीमकाथाना को इस हेतु तहरीर जारी हो। पत्रावली बाद
फैसल शुमार नम्बर से कम होकर दफ्तर दाखिल हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

(राजवीर सिंह यादव)
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Rajveer Singh Yadav
Date: 2025.02.28 16:38:51 IST
Reason: SelfAttested

श्रीमानजी,

Scanned with OKEN Scanner